



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1082]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/ फाल्गुन 17, 1940

No. 1082]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1216(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदौर में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर खंडपीठ और अमरावती में अमरावती खंडपीठ का गठन करती है और उक्त प्रयोजनार्थ भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.1935(अ) तारीख 01 जून, 2016 का और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

2. उक्त अधिसूचना की तालिका में,-

- (i) क्रम संख्या 2 में, कॉलम संख्या (4) में, “(2) मध्य प्रदेश राज्य” प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 8 में, कॉलम संख्या (4) में, “(1) आंध्र प्रदेश राज्य” प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“14	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, इंदौर खंडपीठ	इंदौर	(1) मध्य प्रदेश राज्य
15.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, अमरावती खंडपीठ	अमरावती	(2) आंध्र प्रदेश राज्य।”

3. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए- 45011/44/2018.प्रशा-IV]
अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ.1935(अ), तारीख 01 जून, 2016 के द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् संख्या का.आ.345(अ), तारीख 3 फरवरी, 2017, संख्या का.आ.3145(अ) तारीख 28 जून, 2018, संख्या का.आ.3430, तारीख 12 जुलाई, 2018 और संख्या का.आ.3683(अ) तारीख 27 जुलाई, 2018 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O. 1216(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby constitutes the National Company Law Tribunal, Indore Bench at Indore and Amaravati Bench at Amaravati, and for the said purpose hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs number S.O. 1935 (E), dated the 1st June, 2016, namely:—

2. In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 2, in column number (4), the entries “(2) State of Madhya Pradesh” shall be omitted;
- (ii) against serial number 8, in column number (4), the entries “(1) State of Andhra Pradesh” shall be omitted;
- (iii) after serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“14	National Company Law Tribunal, Indore Bench	Indore	(1) State of Madhya Pradesh
15	National Company Law Tribunal, Amravati Bench	Amaravati	(2) State of Andhra Pradesh.”

3. This notification shall come into force on the date of its publication.

[F.No. A-45011/44/2018-Ad.IV]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1935(E), dated the 1st day of June, 2016 and subsequently amended vide number S.O. 345(E), dated the 3rd February, 2017, number S.O. 3145 (E), dated the 28th June, 2018, number S.O. 3430 (E), dated the 12th July 2018 and number S.O. 3683 (E), dated the 27th July 2018.